‘अप्प दीपो भव’

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.03.2015
Date of Posting on concessional rate : 2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रुपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 9 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 31 मार्च, 2015

परिसंघ का एक दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में संपन्न

एक वर्ष में 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य

गत् 22 मार्च को एन.डी.एम.सी. कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का एकदिवसीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में पूरे देश के परिसंघ के नेताओं, कार्यकर्त्ताओं व शुभचिंतकों ने भाग लिया। कन्वेंशन सेंटर की क्षमता अधिकतम 400–500 लोगों की है, उसी के अनुरूप सिर्फ प्रमुख पदाधिकारियों व खास शुभचिंतकों को ही सम्मेलन हेतु आमंत्रित किया गया था लेकिन प्रातः 11 बजे ही हॉल में क्षमता से अधिक लोग पहुंच गए और मंच की सीढ़ियों व रास्तों पर भी लोगों को बैठना व खड़े होना पड़ा। सम्मेलन में डॉ0 उदित राज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉ0 उदित राज जी के अलावा परिसंघ के जिन प्रमुख नेताओं ने सम्मेलन को सम्बोधित किया, वे हैं – दिल्ली से कर्म सिंह कर्मा, रवीन्द्र सिंह, डॉ0 अंजू काजल, भानु पुनिया, बलबीर सिंह, हरी प्रसाद, सत्यनारायण, वाई.के. आनंद, आर. एस. हंस, अशोक अहलावत, महाराष्ट्र से सिद्धार्थ भोजने, संजय अधांगले, अर्चना भोयर, माणिकराव जी बोंबार्डे, मनीष दवे, मध्य प्रदेश से परमहंस प्रसाद, बी.भारती, जम्मू व कश्मीर से आर.के. कलसोत्रा, पंजाब से तरसेम सिंह एवं दर्शन सिंह चंदेढ़, हरियाणा से महासिंह भूरानिया, सत्य प्रकाश जरावता, राजस्थान से मूलाराम खोरवाल एवं विश्राम मीणा, उत्तर प्रदेश से जगजीवन प्रसाद, धर्म सिंह, दाता राम, राधेश्याम, बिहार से मदन राम, अमित कुमार पासवान, उड़ीसा से आलेख मलिक, डी.के. बेहरा, गंडाराम नायक, पश्चिम बंगाल से सपन हलदर, झारखंड से दिनेश कुमार, तेलंगाना से महेश्वर राज एवं आंध्र प्रदेश से डॉ. श्याम प्रसाद, गुजरात से वालजी पी. दनीचा, तमिलनाडु से एम.पी. कुमार, एस. करूपइया एवं के. मणि, केरल से के. रमनकुट्टी, कर्नाटक से जे. श्रीनिवासलू, छत्तीसगढ़ से अनिल मेश्राम।

दिल्ली प्रदेश के महासचिव श्री रविन्द्र सिंह ने सम्मेलन में शिरकत करने वाले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत किया एवं मंच का संचालन करते हुए परिसंघ के राष्ट्रीय सचिव – ब्रह्म प्रकाश ने आज के सम्मेलन का उद्देश्य बताते हुए माननीय डॉ0 उदित राज जी को स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित किया।

लगभग 12:30 बजे डॉ0 उदित राज जी का हॉल में आगमन हुआ। परिसंघ के नेताओं व कार्यकर्त्ताओं ने फूल–मालाओं से डॉ0 उदित राज जी का स्वागत किया और तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। सर्वप्रथम डॉ0 उदित राज जी ने महामानव गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉ0 उदित राज जी ने सम्मेलन में उपस्थित लोगों को सम्मेलन का उद्देश्य व अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की उपलब्धियों के बारे में बताया।

डॉ0 उदित राज जी ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए बताया कि जब दलितों व आदिवासियों का उत्थान तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से नहीं हो पा रहा था तब 1974 में ट्राइबल स्पेशल प्लान और 1989 में शिड्यूल्ड कास्ट स्पेशल प्लान लाया गया ताकि जो अलग से इनके विकास के लिए राशि रखी जाए, अन्यत्र खर्च न की जा सके। इसमें योजनागत बजट का आबादी के अनुपात में पैसे को अलग रखकर उत्थान करना था। उस समय योजनागत् बजट की राशि ज्यादा होती थी और वह धीरे–धीरे कम होती गयी। शुरू में ही इतना भेदभाव किया गया कि नाम–मात्र की धनराशि अलग की गयी।

शेष पृष्ठ 2 पर

दस लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य

22 मार्च को दिल्ली में हुए सम्मेलन में तय किया गया कि 14 अप्रैल 2015 से परिसंघ का सदस्यता अभियान चलाकर 10 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को वर्ष के अंत तक पूरा किया जाएगा। यह अभियान इतना बड़ा नहीं है कि जो पूरा नहीं किया जा सकता। यदि हम गंभीरता से कार्यक्रम को लें तो कोई मुश्किल नहीं है। सभी प्रदेशों के नाम से सदस्यता फार्म तो छपे हीं हैं और उसके साथ–साथ शुरुआती कोटा भी निर्धारित किया गया है।

दिल्ली इकाई के द्वारा संसद मार्ग से यह अभियान 14 अप्रैल को आरंभ होगा दिल्ली के साथियों के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। अतः संसद मार्ग, जंतर–मंतर के पास, नई दिल्ली पर 14 अप्रैल को प्रातः 9 बजे भारी संख्या में पहुंचकर सदस्यता लें और इस अभियान को तेज करें। दूसरे राज्य भी इसी दिन अपने–अपने प्रदेशों में सदस्यता अभियान आरंभ करेगें।

संम्पर्क

डॉ. नाहर सिंह	– 9312255381
कर्म सिंह कर्मा	– 9811207260
धारा सिंह	– 9810682985
रवीन्द्र सिंह	– 7503051128
डॉ. अंजू काजल	– 9891307796
डॉ. धनंजय	– 8010720771
भानु पुनिया	– 9013332151
बलबीर सिंह	– 9999051041
आर.एस. हंस	– 9811800137

सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह का एक दृश्य

पृष्ठ 1 का शेष

धीरे-धीरे धनराशि बढ़ी तो जरूर लेकिन कभी भी जितना मिलना चाहिए, उससे आधी ही रही। यह आधा भी ईमानदारी से खर्च नहीं हुआ। इस वर्ष योजनागत् बजट 4,65,277 करोड़ है और अनुसूचित जाति के लिए 30,850 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि आबादी के अनुपात में 77,235 करोड़ होना चाहिए था। अतः 46,385 करोड़ का हक छीन लिया गया है। इसी तरह से जनजाति का 20,034 करोड़ की कटौती की गयी है। जन जाति को 19,979 करोड़ मिले जबकि 40,013 करोड़ मिलना चाहिए था।

डॉ0 उदित राज जी ने कहा कि अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना 1997 में हुई। तत्कालीन सरकार द्वारा जारी पांच आरक्षण विरोधी आदेशों की वापसी हेतु इसकी स्थापना हुई थी और परिसंघ के आंदोलन के कारण ही केन्द्र सरकार ने 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन किया और आरक्षण बचा। उन्होंने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण की लड़ाई अभी भी जारी है। परिसंघ के हस्तक्षेप के कारण ही लोक पाल में दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों का आरक्षण सुनिश्चित हो सका। हमारे आंदोलन के कारण ही निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा अस्तित्व में आया और यूपीए प्रथम ने 2004 में न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा शामिल भी किया। पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित बिल भी यूपीए के कार्यकाल में संसद में पेश हुआ लेकिन कांग्रेस सरकार के ढुलमुल रवैए के कारण वह पास होकर कानून का रूप नहीं ले सका। यूपीए के सत्ता से बाहर होने के ये प्रमुख कारण रहे हैं।

विशेषकर सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों की समाज के प्रति जवाबदेही पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एम.पी. और एम.एल.ए. टेम्परेरी इम्प्लाई हैं। 5 साल तक एम.पी. या एम.एल.ए. रहने के बाद अगली बार चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं होती। आरक्षित सीटों पर भी जिस पार्टी के टिकट पर हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, उन पार्टियों के प्रति इनकी ज्यादा जवाबदेही होती है बजाय कि समाज के, लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों को आरक्षण की बदौलत जो नियुक्ति होती है उस पर किसी की बंदिश नहीं है और वे स्वच्छंद रूप से समाज का कार्य कर सकते हैं। इसलिए अधिकारी व कर्मचारी परमानेंट रूप से समाज का काम कर सकते हैं।

डॉ0 उदित राज ने अनुसूचित जाति/जन जाति परिसंघ एवं दलितों के अन्य संगठनों में अंतर बताते हुए कहा कि परिसंघ ही देश में एक ऐसा संगठन है, जिसका आधार जाति नहीं है, बल्कि उपलब्धियां हैं। किसी भी संगठन में नेतृत्व व प्रमुख पदाधिकारियों की जाति से ही उस संगठन का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है कि वह संगठन किस जाति का है। डॉ0 उदित राज जी जिस जाति में पैदा हुए, परिसंघ में उस जाति के लोग एक या दो प्रतिशत भी नहीं होगें और होगें भी तो उन्हें प्रमुख पदों पर काम के आधार पर ही कभी रखा गया होगा न कि जाति के आधार पर। उन्होंने कहा कि परिसंघ के लोगों को तो यह बात भलीभांति पता ही है, फिर भी जिन लोगों को कोई संदेह हो वे हमारे संगठन के बारे में पता कर सकते हैं।

डॉ0 उदित राज ने कहा कि हमारे आंदोलन पर बार-बार यह आरोप लगता रहा कि हम बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और यही कारण रहा कि समाज से मेरे नेतृत्व वाली इंडियन जस्टिस पार्टी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। कभी आरोप लगा कि मैं भाजपा का एजेंट हूं और कभी कहा गया कि कांग्रेस ने पैदा किया है। दुर्भाग्यवश लोग यकीन भी करते रहे। बसपा नेताओं को डर यही था कि कहीं वे मेरे नेतृत्व को न स्वीकार कर लें और उनकी बहन जी कमजोर पड़ जाएं। वैचारिक रूप से आलोचना होती तो कोई दुख नहीं होता लेकिन कभी जाति की आड़ लिया तो कभी दूसरी पार्टियों का एजेंट बताया। वैचारिक एवं उपलब्धियों के आधार पर यदि मूल्यांकन किया गया होता या अभी भी किया जाए तो बात साफ हो सकती है। 2008 के दिल्ली विधान सभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को लगभग 14 प्रतिशत वोट मिले थे और इस बार के चुनाव में वह सिमटकर लगभग 1.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। आखिर में यह वोट गया कहां? जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की ओर चला गया है। बसपा का जनाधार 2013 के दिल्ली विधान सभा के चुनाव में ही खिसककर आम आदमी पार्टी में जाने लगा था लेकिन तथाकथित मिश्नरी जिस तरह से दुष्प्रचार करके मुझे रोकने का कार्य किया उस तरह से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व से आगाह भी नहीं किया, आलोचना करने की बात तो दूर। प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल डॉ0 अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? कुछ देर के लिए तो ऐसा ही लगता है, वरना ये तथाकथित अम्बेडकरवादी 2013 के विधान सभा चुनाव से लेकर 2014 तक लगभग एक वर्ष तक में पर्दाफाश करके अपने वोट को वापस ला सकते थे। क्या यह मान लिया जाए कि मनोवैज्ञानिक रूप से अभी भी सवर्ण नेतृत्व स्वीकार करने में परहेज नहीं है, लेकिन अपने आदमी के नेतृत्व की बात जब आती है, तो जाति और अहंकार दोनो आड़े आ जाते हैं। यहां यह सिद्ध होता है कि न केवल सवर्णों की वजह से दलितों का शोषण हो रहा है, बल्कि ये स्वयं भी बराबर के जिम्मेदार हैं।

डॉ0 उदित राज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में में शामिल होने और उसके टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद से लगातार मेरी आलोचना होती रहती है, लेकिन संसद में पहुंचने के बाद मेरे अलावा शायद ही कोई दूसरा सांसद होगा जो दलितों के मुद्दों पर बोलता हो। मेरे सहयोगियों ने मेरे द्वारा लोक सभा में उठाए गए मुद्दों के सम्बंध में एक हैंडबिल छपवाया है, जो आप सभी के सामने है। (संसद में उठाए गए मुद्दों को इसी अंक में अन्य पृष्ठ पर छापा जा रहा है।)

डॉ0 उदित राज ने कहा कि हमारे आंदोलन ने जितना समाज को दिया है, उसकी तुलना में समाज का कम ही साथ मिला है। इस संबंध में परिसंघ के शीर्ष नेताओं से पहले ही विचारविमर्श हो चुका था कि सदस्यता अभियान चलाने की आवश्यकता है और सर्वसम्मति से सम्मेलन में फैसला किया गया कि बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस 14 अप्रैल, 2015 से 10 लाख परिसंघ के नए सदस्य बनाने की शुरुआत की जाएगी और एक साल के अंदर यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इस सम्बंध में महाराष्ट्र से सिद्धार्थ भोजने ने 1 लाख सदस्य, पंजाब से तरसेम सिंह ने 50 हजार, छत्तीसगढ़ से अनिल मेश्राम ने 10 हजार, तमिलनाडु से एस. करूपइया ने 50 हजार, उ0प्र0 की ओर से धर्म सिंह ने कहा कि जितने सदस्य पूरे देश के विभिन्न राज्यों से बनाए जाएंगें, उतने सिर्फ उ0प्र0 से बनेगें। दिल्ली की ओर से रविन्द्र सिंह ने घोषणा की वे 1 लाख सदस्य बनवाएंगें।

10 लाख सदस्य का लक्ष्य पूरा होते ही, आप सभी को स्वयं महसूस होगा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, खाली पदों पर भर्ती, जाति प्रमाण-पत्रों की समस्या आदि की हमारी मांगों को कितनी मजबूती मिल चुकी होगी।

+++

डॉ. उदित राज के प्रयास से अंशकालीन निगम सफाईकर्मी हुए नियमित

निगम मजदूर सर्व कल्याण मोर्चा के संस्थापक - वीर अशोक अन्जाना की अगुवाई में कड़े सघर्ष के बाद 25-30 वर्षो से कार्यरत् अंशकालीन सफाई कर्मियों को निगम को नियमित रूप से दैनिक वेतन 1 जनवरी, 2015 से कर दिया गया, जिसका बकाया एरियर का भुगतान भी प्रशासन ने करने की कवायद शुरू कर दिया है। पहले नियमतीकरण की प्रक्रिया जारी होगी। स्थायी समिति के अध्यक्ष, मोहन भारद्वाज का प्रयास इस कार्य के लिए सराहनीय रहा। वीर अशोक अन्जाना ने कहा कि डॉ0. उदित राज, सांसद उत्तर पश्चिम दिल्ली एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के समक्ष कुछ महीनों पहले जब हमने यह मामला रखा तो उन्होंने वायदा किया था कि शीघ्र ही इन कर्मचारियों को नियमित करवाया जाएगा और अब यह उपलब्धि हमें मिल गयी है। हम निगम मजूदर सर्व कल्याण मोर्चा की ओर से इस कार्यहेतु तहेदिल से शुक्रिया करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हर प्रकार से अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ को मजबूत बनाने हेतु प्रयासरत् रहेगें जिससे कि आगे भी इस तरह के कार्य ज्यादा से ज्यादा होते रहें और गरीब-दलित परिवारों का उत्थान हो सके।

+++

विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी

नाम व मोबाइन नंम्बर		प्रदेश
डॉ.नाहर सिंह	-09312255381	आन्ध्रा प्रदेश,कर्नाटक,केरल
परमेश्वरा राव घंटा	-09985518001	आन्ध्रा प्रदेश,कर्नाटक,केरल
रविन्द्र सिंह	-07503051128	उत्तरप्रदेश और दिल्ली
डॉ.गीता कनोजिया	-09268385820	उत्तरप्रदेश
डॉ.अनुज काजल	-09891307796	दिल्ली और चंदीगढ़
डॉ.धनंजय सिंह	-08010720771	बिहार और उडिसा
योगेश आनंद	-09654144068	छत्तीसगढ़
आर.एस.हंस	-09811800137	मध्य प्रदेश
बलबीर सिंह	-09999051041	गुजरात
भानू पुनिया	-09013332151	हरियाणा,हिमांचलप्रदेश,चंदीगढ़
ब्रम्ह प्रकाश	-09871170028	पंजाब
डॉ.सत्येन्द्र प्रियाशी	-09810235825	उत्तराखण्ड
सत्यनारायण	-09873988894	वेस्ट बंगाल
हरिश मीना	-09212439214	राज्यस्थान
यु.सी.मीना	-09990725308	सभी बैंको संगठीत करणा
मोहनलाल	-09868161938	सभी बैंको संगठीत करणा
खुबराम	-09953591635	सभी बैंको संगठीत करणा
श्रीमती मल्लिका	- 09582562090	तमिलनाडु

भूमि अधिग्रहण का विरोध दलित विरोधी नई दिल्ली

22, मार्च 2015 डॉ. उदित राज, सांसद व भाजपा नेता ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का विरोध का मतलब आद्योगीकरण को रोकना। जब तक उद्योग देश के कोने-कोने में खासतौर से पिछड़े इलाकों में नहीं लगाए जाते तब तक देश में रोजगार का अभाव बना रहेगा। यदि उद्योग और तमाम ढांचागत विकास के लिए जमीन नहीं होगी तो बड़े शहरों में ही लोग रोजगार के लिए आएंगें। गांव से पलायन होगा और शहर में जरूरत से ज्यादा आबादी बढ़ेगी। विकसित देश जैसे - अमेरिका में केवल दो प्रतिशत आबादी ही कृषि पर आश्रित है, जबकि हमारे यहां अभी भी 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग निर्भर हैं। कृषि का योगदान कुल घरेलू सकल उत्पाद में 12 से 13 प्रतिशत है, जबकि जीवन-यापन के लिए लगभग 50 प्रतिशत की आबादी इस पर आश्रित है। यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ किसानों में अधिग्रहण शब्द का भय इसलिए है कि पूर्व में सरकारों ने किसानों से जमीन छीनकर पूंजीपतियों को दिया जबकि उन पर उद्योग लगने चाहिए थे। एस.ई.जेड. के लिए जो जमीने दी गयीं, उसका पूरा उपयोग भी नहीं किया और लैंडयूज चैंज के माध्यम से उससे मनमाना कमाई की गयी और इस तरह से किसान लुट्ते रहे।

डॉ0 उदित राज जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले 'मेक इन इंडिया' का नारा दिया। इसका मतलब है कि उद्योग लगाने की भावना की प्राथमिकता है न कि जमीन लेने की जबकि पूर्व में जमीन लेने की थी, उद्योग लगाने की चिंता सरकारों ने किया ही नहीं। दलितों के पास जमीनें नाम-मात्र की हैं और उनका गुजारा औद्योगीकरण से ही हो सकता है। दलित एवं गरीब ज्यादा शहर की ओर पलायन करते हैं क्योंकि यहां रोजगार मिलता है। यदि दूर-दराज के इलाकों में जमीन लेकर आद्यौगीकरण किया जाए तो गांव से पलायन रुक जाएगा और दलितों में गरीबी भी नहीं रहेगी। बड़े शहरों पर भार भी कम होगा। विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, वास्तव में 2 प्रतिशत आबादी के पास ही जमीनें रह गयी हैं और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमिहीन हो गए हैं, या तो नाम-मात्र की जमीनें उनके पास हैं। जिनकी जमीने ली भी जा रही हैं, अब उसका सदुपयोग होगा न कि निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने के लिए दिया जाएगा। यदि विपक्ष की पार्टियां दुष्प्रचार करने में लगी रहेंगीं तो ऐसे में दलित रैली के द्वारा उनको जवाब दिया जाएगा।

+++

गरीबों के मसीहा: बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

14 अप्रैल बाबा साहेब, डॉ. भीम राव अंम्बेडकर की जयन्ती के रुप में मनाया जाता है। उनको श्रद्धांजलि, सम्मान तथा आभार प्रकट किया जाता है। बाबा साहब को आज हम भारत वासी नमन क्यों करते हैं? क्योंकि वे एक महान विधिवेता, राजनीतिक नेता, दर्शनशास्त्री, मानवविज्ञानी, इतिहासकार, सुवक्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षाक, संम्पादक, बहुसर्जक लेखक, क्रांतिकारी और बौद्ध धर्म के पुनःप्रवर्तक थे। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे इसलिए 2012 में इतिहास टी. वी. और CNN-IBN चैनल के वोट द्वारा उन्हें महानतम भारतीय चुना गया था। हम (आदिवासी-मूलनिवासी, दलित) उन्हें विषेश रूप से इसलिए नमन करते हैं क्योंकि उन्होने हमें एक ऐसा संविधान दिया हैं जिसमें हम गरीबों का विषेश ख्याल किया गया है। हम गरीब, दीन-दुखियों के लिए उन्होंने क्या किया उसके बारे में आज हम सुनते-पढ़ते, उन पर मनन-चिंतन करते और विकास के कदम उठाते हैं। बाबा साहब ने संवैधानिक प्रवधान द्वारा हमारे लिए जो अधिकार दिया है उसे हासिल करने के प्रयास का संकल्प लाते हैं। उन्होंने हमारे लिए संविधान में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, पेसा कानून के द्वारा ग्राम सभा व वन अधिकार, मान्यता कानून के द्वारा वन पर अधिकार, अरक्षण का अधिकार आदि प्रदान किया है। जिनका हमें उपयोग करना है।

वे अपने लोगों को यह संदेश दिया करते थे-1. Educate! 2. Organize! 3. Agitate! (शिक्षित हो! संगठित हो! आंदोलन करो!) अपना विकास करने के लिए अपनी जाति, समाज की अस्मिता की रक्षा करने के लिए हमें शिक्षित होना है। बाबा साहेब से प्रेरणा लेना है कि वे कैसे इतने महान व्यक्ति बनें ?और वह है शिक्षा। उनका जन्म एक गरीब महार परिवार में सन् 14 अप्रैल 1891 में मध्यप्रदेश की मह्‌ छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री राम जी सकपाल और माता का नाम श्रीमति भीमा बाई था। उनके फौजी पिता शिक्षा की महत्ता को भली-भाँति समझते थे, इसीलिए सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैरवी करते थे। स्कूलों में इन अछूत बच्चों को अलग से बख्रमदे में बैठया जाता था। शिक्षक भी उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे। अलग से पानी पीना पड़ता था। उन्हीं के शब्दों में '' चपरासी नहीं तो पानी नहीं ''। अगर चपरासी नहीं होता था तो उसदिन उन्हें पानी नहीं मिलता था, फिर भी उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा।

पिता, श्री सकपाल सेवा निवृत हुए, परिवार सतारा चला गया। अपने 14 वें भाई-बहनों में सिर्फ अम्बेडकर ही मैट्रिक की परीक्षा 1907 में पास कर सके। अपने समाज के पहले व्यक्ति बनें-मैट्रिक पास करने वाले। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बांम्बे एलफिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। 1912 में बांम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में डिग्री प्राप्त कर वे बड़ौदा सरकार में नौकरी करने की तैयारी करने लगे। इसी बीच बड़ौदा सरकार से स्कोलरशिप पाकर उन्होंने सन् 1913 में अमेरिका के कलेम्बिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि विषयों में डिग्री प्राप्त किया। 1917 में जब वे भारत आ रहे थे तो उनकी सारी किताबें खो गयी। बड़ौदा सरकार में उनकी नियुक्ति सेना विभाग में सचिव के पद पर हुई। लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जीविका चलाने के लिए उन्होंने प्रकाशन, एकाउन्टैंट एवं परामर्शदात्री का काम शुरु किया किन्तु नीच जाति होने के कारण सफलता नहीं मिली। सन् 1918 में बाम्बे के सिडेनहम कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर बने वहां भी एक ही जग से पानी पीने का अन्य प्रोफेसरों ने विरोध किया। सन् 1919 में भारत सरकार का कानून बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार का आमंत्रण मिला। 1920 में ''मूकनायक'' नामक पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने प्रारभ किया। बॉम्बे उच्च न्यायलय में उन्होंने वकालत किया। उसी समय अछूतों को शिक्षित होने की शिक्षा दी। कॉलेज में प्रिन्सिपल एवं प्रकाशन का काम भी उन्होंने किया। जब देश स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस सरकार ने अम्बेडकर जी को प्रथम विधि मंत्री के रूप में सेवा देने के लिए आमंत्रित किया। सन् 1947 के 19 अगस्त को संविधान ड्राफ्ट कमिटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। और इस संविधान के द्वारा उन्होंने हमें समानता, स्वतंत्रता , शोषण के विरुध, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्क्कृति एवं शिक्षा तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया है। इसी महान पुरुष का आज हम नमन करते हैं। साथ ही विचार करते हैं कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने चिंतत रहते हैं। उनके पिता श्री रामजी सकपाल अपने बच्चों की पढ़ई के लिए स्कूलों में पैरवी करते थे। हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करते हैं? अम्बेडकर ने स्वयं छुआ-छूत और अन्य समस्याओं का समाधान करते हुए उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। आज पढ़ाई करने वाले बच्चे कितना हौसला रखते हैं ?अपना लक्ष्य कितना ऊॅचा रखते हैं ?

आज हमारे पास कदम-कदम पर स्कूल हैं। 9 अप्रैल 1013, के नवभारत में आप ने पढ़ा होगा जिसका शीर्षक था ''बदहल है स्कूल, सरकार कूल-कूल''। उसी में एक कैपशन भी थी(डरो नहीं बेटा वो भूत बंगला नहीं सरकारी पाठशाला है) प्रदेश (छ.ग.) में 800 स्कूलों की हालत जर्जर है। कब सिर पर छत गिर जाये भगवान जाने। स्कूल भवन की अपेक्षा आहातों की सुन्दरता को बढ़ाया जा रहा है। आप अखीर पुनः देख लीजिए, अरबों रुपये स्कूलों के लिए खर्च किये जा रहे है। नई दुनिया, 17 जनवरी 2015 लिखता है, 'आठवीं के चार लाख बच्चे नहीं जानते जोड़ना-घटाना'। चौकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं- 75 प्रतिषत बच्चे दहाई अंक को जोड़-घटा नहीं सकते, 1.5 प्रतिशत बच्चे आठवीं के 1 से 9 तक के अंकों को पहचानते नहीं, 68 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के सरल वाक्य भी नहीं पढ़ पाते, 1.8 प्रतिशत बच्चे हिन्दी के क, ख, ग भी नहीं पढ़ पाते, यह है छत्तीसगढ़ के शिक्षा का स्तर - 'देश में सबसे निचले पायदान पर'। दो फासदी बच्चों का निजी स्कूलों में पलायन हो रहा है। प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री कहते हैं, 'सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।' फिर भी विड्म्बना यह है कि आज बच्चें पढ़ने स्कूल नहीं जाते, खाने जाते हैं। शिक्षक पढ़ाते नहीं खाना खिलते हैं। अपर से जेनेरल प्रोमोशन। आप ही सोचिए ऐसे में हमारे बच्चें शिक्षित कैसे होंगे? इसलिए 9 अप्रैल 2013 के अखबार में कहा गया है, ''सर्व शिक्षा अभियान-कोई पढ़े न पढ़े-हम बढ़े।'' इस बात को आज हमें समझना है कि शिक्षा के नाम से क्या हो रहा है। कौन बढ़ रहे हैं? पूंजीपति और नेताओं के बच्चे ही न? जो देश-विदेशों के अच्छे से अच्छे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बढ़ते हैं। नौकरी किसे मिलेगी? इन्हीं बच्चों को न!

दूसरी ओर हमारे बच्चों कभी बात की गंभीरता को जानते हुए पढ़ाई करनी होगी। अनुशासन की महत्ता को समझना होगा। हर क्षेत्र में प्रतियोगिता के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। बाप की कमाई से 'ऐश करो' की भावना को त्यागना होगा। अम्बेडकरजी से प्रेरणा लेनी होगी। लक्ष्य ऊॅचा रख कर सतत प्रयास करना होगा। तभी मंजिल की प्राप्ति होगी।

2. दूसरा उनका संदेश था ''संगठित हो!'' और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1936 में उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी' का निर्माण किया तथा 15 सीटें उन्होंने जीता। यह उनके संगठनात्मक ताकत एवं कला का प्रमाण है।

संगठित होने के लिए भेदभाव, संकीर्णता और स्वार्थ का त्याग करना आवश्यक है। उस समय की बात सोचिये जब एक ही गॉव में उरॉव, लुहार, महार, अहीर, कुम्हार, चिखवा, पनिका, डोम, घंसिया, तुरी, रावतिया, भुंया आदि भाईचारे की भावना से रहते थे तथा एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते थे। कठिनाइयों में एक दूसरे की मदद करते थे। अन्योन्याश्रय का सुन्दर समागम था। अपने गॉव में आज आप की स्थिति कैसी है? दूसरे लोग यह नहीं चाहते कि हम संगठित हों और अपने अधिकारों की मांग करें, इसलिए फूट डालो और शासन करो की नीति का जहर फैला रहे हैं। और हम अज्ञानी इसके चक्कर में पिसते जा रहे हैं। पूर्व में हम भाई-भाई थे आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं।

जरा सोचिए चुनाव के समय क्या होता है? 'फूट डालो और शासन करो' की नीति का शिकार होते हैं या संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं? अपने ही बीच से दस व्यक्ति को एक ही चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना है या एक को? आपस में हमारे वोट को बंटना है या एक होना है? गॉव के लोगों को दस पार्टियोंमें बंटना है या एक होना है? पैसे लेकर वोट देना है या निष्पक्ष बिना पैसे का? अगर पैसे ले कर तो तैयार हो जाइये विस्थापित होने के लिए। क्योंकि पैसा देने वाला और किसी से पैसा लेता है और देता है। चुनाव जीतने के बाद वह नेता पैसा देने वालों के लिए काम करेगा या लेने वालों के लिए? देने वालों के लिए ही न! देने वाले कौन हैं? पूंजीपति व उद्योगपति। उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ही नियम और कानून बनाएगा, जैसे कोयला, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश इत्यादि। लोक हित के नाम आपका विनाष और चंद पूंजीपति व उद्योगपतियों का विकास चंद पूंजीपति व उद्योगपतियों के लिए अच्छा दिन लाएगा और किसान-आदिवासियों के लिए बुरा। मीठी बोली का जहर देकर आपको अपने पैरों कुलहाड़ी मारवाएगा, स्वयं अपने लिए कब्र खुदवाएगा। मेरी आप प्रत्येक से यही अर्जी है कि एक बार संगठित होकर यह दिखा दीजिये कि जिसे आप चाहते हैं हरा सकते हैं या जिता सकते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपका दुःर्ख दर्द समझता हो, आप की अपने अधिकार प्राप्ति के संघर्ष में आप का साथ दे, आपका नेतृत्व कर सके। आज हमारे उपर विस्थापन रुपी घनघोर बादल मंडरा रहा है, कोई कहता है सिर्फ ईसाई उरॉवों का विस्थापन होगा, क्या एक ही गॉव या क्षेत्र में रहने पर भी केवल उन्हीं का विस्थापन होगा? जरा सोचिए!

3. बाबा साहेब का तीसरा मंत्र था Agitate, आंदोलन करो। और अपना हक्क को प्राप्त करो, मांगो नही, छींन लो क्योंकि यह तुम्हारा हक्क है तुम्हारा अधिकार, जिसे संविधान ने तुम्हें प्रदान किया है। 1927 में उन्होंने छुआ-छूत के विरुद्ध जन आंदोलन किया। सत्यग्रह कर मंदिर में अछूतों को प्रवेश कराया। उच्च जाति के लोगों के कुएं/तालाब से पानी पिया। मनुस्मृति को जलाया जो कि जाति भेद का आधार है। लंदन से लड़झगड़ कर दलितों के लिए दोहरी मताधिकार को लाया था। पर दुर्भाग्य, 1932 के पूना पैक्ट द्वारा उन्होंने उसे खो दिया। इसके विरोध में गांधी ने पूना में अनसन किया। कई दलितों को मार डाला जा रहा था। अंततः विवश हो कर अंम्बेडकर जी को दोहरी मताधिकार को वापस लेना पड़ा।

उनका कहना था राजनीतिक और आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक है। हम सोचें हमारे समाज में कहां सुधार की आवश्यकता है, ताकि राजनीतिक और आर्थिक सुधार हो सकें। राजनीतिक ताकत पाने के लिए कहॉं सुधार की आवश्यकता है? और आर्थिक ताकत पाने के लिए कहां आंदोलन की आवश्यकता है। कहा जाता है जब यहां बड़े-बड़े उद्योग लगेगे तो क्षेत्र का विकास होगा। यहां के लोगों का विस्थापन होगा तो किसका विकास? विकास के नाम गॉव में सड़क बन रहा है, बिजली लग रही है। सड़क बनता है हमारी जमीन पर और उस सड़क पर किसकी गाड़िया दौड़ती है सेठ साहूकार की न? हम तो दोनों ओर से लुट गये। जमीन गई ऊपर से हमारे पैसे इन गाड़ियों का उपयोग करने पर। किसका विकास हो रहा है? इसलिए सचेत होइए आंदोलन कीजिए अपने हक को हॉसिल कीजिए। अगर आपके गांव में सड़क बनता है तो आपका पहला हक बनता है कि आप उस पर गाड़ी दौड़ाए। आप उस सड़क पर गाड़ी चलाइये और अपने नुकशान की भरपाई कीजिए। आंदोलन कीजिए कि इस पर कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, आप स्वयं चलाएंगे। परमिट तो आपको देना चाहिए क्योंकि आप की जमीन गई है, दूसरों से क्यों लें? अपने अधिकार का उपयोग कीजिए और आर्थिक ताकत को प्राप्त कीजिए। अपनी सोच में परिवर्तन लाइये सब कुछ हो जाएगा। डर किस बात का? जब जंगल था, तो हमने बाघ-भालू का सामना किया, इस डर का भी सामना कीजिए। नेपोलियन ने का था Nothing is impossible इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है, जब हौंसला बुलांद हो। और यह बुलंद हौंसला शिक्षा, आर्थिक ताकत और संगठन से प्राप्त होगा।

बाबा साहेब की जयंती मनाना तब सार्थक होगा जब हम उनके अमर वचनों पर मनन चिंतन करके नई षिक्षा प्राप्त करेंगे। उस शिक्षा से संगठित होंगे और आंदोलन करके भी अपने अधिकार को पायेंगे। विकास के हर आयाम को छूगें। यही बाबा साहेब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

- गणेश येरेकर
मराठवाडा सचिव
नसोसवायएफ, (महाराष्ट्र)
09975461867

+++

माननीय डॉ. उदित राज द्वारा संसद में उठाए गए मुद्दे

तृतीय संसद सत्र (4 नवंबर, 2014 से 23 दिसंबर, 2014)

शून्य काल एवं नियम 377 के तहत (9 दिसंबर, 2014)

माननीय अध्यक्ष महोदया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत दलितों को आवासीय प्लाट एवं कृषि योग्य भूमि आबंटित की गयी थी लेकिन 38 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें भूमिधरी अधिकार अभी तक नहीं मिल सके हैं, जिसके कारण आज तक वे मालिकाना हक से वंचित हैं। कुछ स्थानों पर उनकी इस आबंटित जमीन पर पार्क बना दिए गए हैं तो कुछ स्थानों पर इसे ग्राम समाज की जमीन घोषित कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि वे अपनी जमीन पर कोई भी गतिविधियां नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि किसी भी समय सरकार उनसे यह जमीन वापिस ले सकती है। इस सम्बंध में मैं कहना चाहता हूं कि गत् 38 सालों से उपरोक्त जमीन पर इनका कब्जा है या खेती-बाड़ी कर रहे हैं। कानून भी है कि 12 साल तक जिसके कब्जे में जमीन रहती है, उस पर उसका मालिकाना हक बन जाता है। लेकिन आज तक उन्हें अपने लिए आबंटित की गयी भूमि का मालिकाना हक नहीं मिल सका है। इनमें से ज्यादातर लोग दलित, गरीब एवं पिछड़े वर्ग से हैं। वे दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक इनके मामले में फैसला नहीं हो सका है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आज ही उन्हें उपरोक्त भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। यद्यपि वे लोग इन जमीनों पर काबिज हैं लेकिन यह उनके नाम से नहीं है।

शून्य काल के दौरान (16 दिसंबर, 2014)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे देश से शेडयूल कास्ट और शेडयूल ट्राइब के लोग दिल्ली में आते है। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के स्टेट रिजर्वेशन को यहां डिनाई किया जाता है, जबकि वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था। फरवरी, 2013 में, अटार्नी जनरल ने भी एक निर्णय में व्यवस्था दी थी कि जो लोग बाहर से दिल्ली आते हैं और राज्य सरकारों से बने प्रमाण-पत्र दिखाते हैं तो उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में दिल्ली सरकार ने मई 2003 में एक आदेश जारी किया था। बावजूद इसके ये लोग आरक्षण से वंचित किए जा रहे हैं। हाल ही में एमसीडी में टीचर्स की भर्ती की गयी थी। 5 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया हुआ है । वे आरक्षण से वंचित हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सहायक शिक्षकों को भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। मैडम, आप के माध्यम से, मैं शहरी विकास मंत्री एवं राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों को, जो राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से आतें हैं, उनके लिए दिल्ली में आरक्षण की सुविधाएं दी जाएं।

शून्य काल के दौरान (19 दिसंबर, 2014)

माननीय अध्यक्ष महोदया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) देश में जाना-माना संस्थान है। यह संस्थान आरक्षण की अवहेलना करने के लिए भी जाना जाता है। इसने सेवा नियमों का भी उल्लंघन किया है। तमाम महत्त्वपूर्ण समितियों ने भी रोटेशन सिस्टम का पालन करने की संस्तुति दी है। जावेद चौधरी कमेटी, विद्यानाथन कमेटी, पार्लियामेंटरी कमेटी आदि ने भी ऐसी सिफारिशें की हैं, लेकिन इस संस्थान को आरक्षण नीति का उल्लंघन करते समय किसी की भी चिंता नहीं है। 2013 में एम्स में 164 भर्तियां हुई थीं, जिनमें आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद एम्स में वरिष्ठता एवं रोस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ। महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि स्वायत्तता के कारण, जब सरकार का सीमित हस्तक्षेप है, तो नियमों का उपहास करते हुए उन्हें दलितों-वंचितों और जिन बच्चों की ऊंची पहुंच नहीं है, को प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

शून्य काल के दौरान (22 दिसंबर, 2014)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे शेड्यूल्ड कास्ट्स् कंपोनैन्ट प्लान – शेड्यूल्ड ट्राईब प्लान पर बोलने का अवसर दिया गया है। प्रत्येक बजट में एक निश्चित राशि ैचमबपंस ब्वउचवदमदज च्संद ंदक ज्तपइंस ैनइ च्संद) शीर्षक के अंतर्गत जारी की जाती है। इस वर्ष योजनागत बजट 4,65,277 करोड़ है और अनुसूचित जाति के लिए 30,850 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि आबादी के अनुपात में 77,235 करोड़ होना चाहिए था। अतः 46,385 करोड़ का हक छीन लिया गया है। इसी तरह से जन जाति का 20,034 करोड़ की कटौती की गयी है। जन जाति को 19,979 करोड़ मिले जबकि 40,013 करोड़ मिलना चाहिए था। इस बार बजट में दी गयी राशि ैचमबपंस ब्वउचवदमदज च्संद ंदक ज्तपइंस ैनइ च्संद) की नीति के अनुरुप नही है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्तमंत्री से कहना चाहूंगा कि अगले बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए, जिसके द्वारा बजट में इस शीर्षक के अंतर्गत राज्यों को दी गई राशि का प्रयोग केवल एस.सी.एस.टी. की गतिविधियों हेतु ही किया जाए।

चतुर्थ संसद सत्र (24 फरवरी, 2015 से 18 मार्च, 2015)

शून्य काल के दौरान (24 फरवरी, 2015)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मै यहां उन लोगों की बात उठाने जा रहा हूं जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं। अगर रिजर्वेशन न होता तो आज भी इनकी हालत नारकीय होती। पोलिटिक्स ओर गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होने की वजह से इनकी स्थिती थोड़ी बेहतर हुई है। जामिया मिलिया यूनीवर्सिटी एक नैशनल युनीवर्सिटी है, लेकिन उसने वर्ष 2011 के एडमिशन में रिजर्वेशन देने से मना किया। वर्ष 2014 में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में रिजर्वेशन लागू करने के लिए डिनाई किया। क्या जामिया युनीवर्सिटी को कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट नही मिलती है? क्या टैक्स पेयर्स की मनी उन्हें नहीं जाती है? उन्होंने माईनोरिटी को रिजर्वेशन दिया, यह ठीक बात है। एससी और एसटी के रिजर्वेशन को समाप्त किया गया है? अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। जामिया यूनीवर्सिटी अच्छी यूनीवर्सिटी है। वहां पहले उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता रहा है लेकिन अब क्या वजह है कि रिजर्वेशन डिसकन्टीन्यू हुआ है? मुझे यही पैटर्न अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में भी देखने को मिला है। मैं अनुरोध करूँगा कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!

नियम 377 के तहत -(24 फरवरी,2015)

माननीय अध्यक्ष महोदया, केंन्द्रीय बजट में (Special Component Plan and Tribal Sub Plan) शीर्षक के अंतर्गत एक निश्चित राशि का प्रावधान किया जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित राशि को खर्च करने का प्रभावी मापदंड नहीं है। यह सर्वविदित है, कि विभिन्न राज्य सरकारें इस राशि को दूसरी योजनाओं में लगा रही हैं। इस बार एक बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि पहले की भांति ही यह राशि राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दी जाएगी या इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। यह बात भी सामने आयी है कि कुछ राज्य सरकारें एस.सी./एस.टी. के विरूद्ध काम कर रही हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस राशि को खर्च करने के लिए एक इफेक्टिव मैकैनिज्म बनाया जाए।

शून्य काल के दौरान -(25 फरवरी, 2015)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के नरेला स्थित गांव के लोगों की समस्याओं को उठाने का अवसर दिया। नरेला में डी.डी.ए. ने 1996 में एक शहर बनाने हेतु भूमि अधिग्रहण किया था। इस संबंध में अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, प्दहजमहंजमक तिपमहीज बवदतततपकवत स्थापित करने की योजना थी जो की आसानी से किया जा सकता था। नरेला क्षेत्र सड़क और रेल से जुडा हुआ है। सरकार को केवल यहां पर भण्डार गृह बानाना है कुछ भण्डार गृह बने हुए हैं किन्तु डी.डी.ए. और सरकार ने उनको नियमित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त 2010 क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत कई मनोरंजन एवं शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी तक इस कार्य के लिए शहरी विकास मंत्रालय और डी.डी.ए. से जमीन आबंटन नहीं किया गया है, हालांकि मनोरंजन एवं शिक्षा के लिए एक हजार हेक्टेयर और पाँच सौ हेक्टेयर की योजना बन गई थी । इस क्षेत्र में हजारों फ्लैट खाली पड़े हैं और लोग बेघर हैं। यदि मेट्रो रेल का नरेला तक विस्तार किया जाता है तो लोग स्वेच्छा से इस फ्लैट मे आ जाएंगे इस मुद्दे पर बोलने का आपका अभारी हूं।

शून्य काल के दौरान - (27 फरवरी, 2015)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सरकारी प्रतिष्ठानों के बारे में आपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। सरकारी प्रतिष्ठानो को अधिकारियों और नेताओं के मेल जोल से एक दुधारू गाय बना दिया है इस संम्बध में एलआईसी के बारे में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका ध्यान विशेषरूप से आकर्षित करना चाहता हूं। इस बारे में चार मुद्दे रखना चाहता हूं एल.आई.सी. की जो इंग्लैंड में फॉरन ब्रांच है वह वॉयबल नही है और यह बड़े ऑफिसर्स के टूर का डेस्टीनेशन बन गया है। जब यह ब्रांच घाटे की है, इसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा है तो इसे बंद करना चाहिए। एल.आई.सी. के अपने अच्छे गेस्टहाउस होने के बावजूद ऑफीसर्स फाइवस्टार में रहकर खर्च बढ़ाते हैं। बीमा कंपनियां उपभोक्तओं के जमा पैसे को निकालकर अन्यों के खाते में जमा करवाती है, इसे रोका जाना चाहिए। नेट सरप्लस (फंड) एल.आई.सी. भारत सरकार को हस्तांतरित करती है तो ऐसा निजी बीमा कंपनियां क्यों नहीं करती?

शून्य काल के दौरान - (10 मार्च, 2015)

अध्यक्ष महोदया, लघु एवं मध्यम उद्योगों में एससी और एसटी का जो पार्टिसिपेशन है, वह बहुत ही कम है। वह पहले 11-12 पर्सेट हुआ करता था, अब घट कर 9 पर्सेट के आस-पास हो गया है और दिनों-दिन घट्ता चला ला रहा है, जबकि राजिस्ट्रर्ड एंटरप्राइजेज केवल 7 पर्सेट के आस-पास ही हैं। हम आपके माध्यम से एम.एस.एम.ई मिनिस्टर से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए और ज्यादातर ये लोग एपेरल में, लैदर में काम करते है, मलिन और अनहाईजीनिक पेशे में भी अभी लगे हुए हैं। इनका रजिस्ट्रेशन भी नही होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इनकी भागीदारी बढ़ायी जानी चाहिए।

बजट पर चर्चा के दौरान मांग की कि दलितों के लिए आबंटित धन इन्हीं पर खर्च हो - (17 मार्च, 2015)

मैडम, थोड़ा सा मुझे ज्यादा समय दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने किसी सांसद को राजस्व प्रबन्धन, राजस्व वसूली और खर्च प्रबन्धन के बारे में बोलते नहीं सुना है। मैं एक राजस्व प्रशासक रहा हूं, प्रत्येक सांसद, वित मंत्री और वित राज्यमंत्री से कुछ लेना चाहते है, उनके पक्ष में कोई नहीं बोलता रहा है, वित्त मंत्री और वित्त राज्यमंत्री संसाधन कैसे जुटाए। हमारी इस समय आय 11.7 लाख करोड़ रूपये का है और खर्च 16.8 लाख करोड़ रूपये का है। मतलब यह कि हमारी जो कमाई है, वह कम है। मैडम, इसमें इतना गैप है 5-6 लाख करोड़ रूपये का, तो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से सरकार प्रोजेक्ट्स को फंड करेगी? 4.1 लाख करोड़ रूपये हम इंट्रेस्ट पेमेंट कर देते है, तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बहुत कम बचता है। पूरे देश में एक ओपीनियन बिल्डअप हो गई है जिसमें पोलिटीशियन और ब्यूरोकैट्स विलेन की तरह पूरे पेश किए जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैरेसमेंट कर रहे है और पोलिटीशियन भी सारे के सारे गलत हैं। ऐसा एनवायर्नमेंट है जो सही नहीं है। मैं एडीशनल कमिश्नर इनकम टैक्स था । मैंने देखा है कि कितना रेवैन्यू का लीकेज है। अगर यहाँ पर रैवेन्यू प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो मेरा फिजिकल डैफिसिट तो पूरा हो ही सकता है, सारे फंड को भी मैनेज किया जा सकता है। मैं मैनेजमैंट की तरफ आना चाहूंगा कि जो एस.सी.सी.पी है, शैडयूल्ड कास्ट्स कंपोनैन्ट प्लान है, शैडयूल्ड ट्राइब प्लान है, इसमें पैसा जाता तो है, लेकिन वहाँ पर स्टेट में वह खर्च नही किया जाता। उड़ीसा का उदाहरण मैं दूँगा। वह पैसा जो यहाँ से जाता है, वह शैडयूल्ड कास्ट्स के ऊपर खर्च करने बजाय, शैडयूल्ड ट्राइब्ज पर खर्च करने की बजाय उससे ब्रिजेज़ बनाए जाते है, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, उसे कॉमनवैल्थ गेम्स को दे दिया जाता है। इसलिए अगर और चीजो की मॉनीटरिंग के लिए जैसे एच.आर.डी. मिनिस्ट्री में, तो वहाँ की 40 लोगों की एक टी है मॉनीटर करने के लिए। इसी प्रकार आपके द्वारा मैं माननीय वित्त मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं इस काम के लिए निगरानी समिति का गठन किया जाये ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इसके लिए दी गयी राशि एस.सी./एस.टी के ऊपर खर्च की जाए। दूसरी बात यह है कि जो भी स्कीमों के लिए यहाँ से पैसा दिया जाए, इसके उपर सैन्ट्रल गवर्नमैंट की मॉनीटरिंग होनी चाहिए।

शून्य काल के दौरान - (17 मार्च, 2015)

मैं आपका ध्यान केंन्द्रीय विद्यालय संगठन के संम्बधीत एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। केंन्द्रीय विद्यालय संगठन एक आयुक्त के तत्वावधान में कार्य करता है और उसे सारे अधिकार हैं। वहां केन्द्रीय विद्यालय में गड़बड़ी है। पहले 80:20 रेशियो द्वारा रिटेन और इंटरव्यू होता था, लेकिन उसे अपने आप 70:30 करके मैनिपुलेशन किया गया । ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत गड़बड़ी की गई है। कम्प्यूटर परचेजिंग में भी गड़बड़ी की गई। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस बारे में सीबीआई या सीवीसी से जांच होनी चाहिए और कमिश्नर को तुरंत वहां से हटाया जाना चाहिए।

प्रश्न काल के दौरान - (17 मार्च, 2015)

दिल्ली में तमाम जातियां आकर रहती हैं। तमिलनवाडु की तीन मुख्य जातियां-पल्लन, आधि द्रविर और अरूणधतियार यहां काफी संख्या में रहती है, जो चालीस-पचास साल पहले माइग्रेट होकर यहां आई थीं। कुछ केसेज में कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू किए गए, लेकिन अधिकांश केसेज में कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नही किया गया। जब वे लोग कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते है तो यहां का एडमिननिस्ट्रेशन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को लिखता है इस ट्रांजिट में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। कई बार उनको सफलता नहीं मिलती कई बार राज्यों से संबंधित विभागों से कोई उत्तर नहीं आता, जिसके कारण दिल्ली में आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पाती। इसकी वजह से दिल्ली में एससी-एसटी की तमाम सीट्स खाली रह जाती है, जबकि कैंडिडेट्स की अवेलिबिल्टी है। दूसरी बात यह है कि मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि इन तीनों कास्ट्स को शामिल करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रपोजल नहीं आया है। ऐसा राज्य सरकारों की कोताही के कारण हो रहा है। यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। इसी तरह की प्राब्लम राजस्थन के शिडयूल्ड ट्राइब मीणा भी फेस कर रहे हैं। इसके कारण बहुत सारी सीटें खाली रहती हैं। प्रश्न संविधान कि धाराओं 341 और 342 अनुसूची से बाहर निकाले व जोड़ने की नहीं है, यह सवाल कुछ हटकर है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके लिए आरजीआई की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। यह मैं जानता हूं और मुझे इसके बारे में आयोग की भूमिका के बारे में पता है जो ऑलरेडी दिल्ली में अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण वे रिजर्वेशन बेनिफिट से वंचित रह जाते है। यहां केबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं । पूरे देश में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र एक बड़ी समस्या बन गए है। खासतौर से मैंने अनुसूचित जनजाति की केटेगरी में देखा है। चूंकि अदालतों में 15-15 या 20-20 साल तक फाल्स कास्ट सर्टिफिकेट्स के मुकदमे पड़े है। तब तक वे कर्मचारी सेवा निवृत्त हो जाते हैं। इस कारण आरक्षित केटेगरी के लोगों को आरक्षण का बेनिफिट न मिलकर दूसरों को मिल रहा है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी क्या रिमेडी है?

शून्य काल के दौरान - (18 मार्च, 2015)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज बहुत ही महत्पूर्ण मुद्दे की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गांवों में जो स्कूल हैं और खास तौर से जो प्राइमरी स्कूल है, उनमें पढ़ाई नाम मात्र की रह गई। क्वॉलिटी ऑफ टीचर्स बिल्कुल खराब है और उनकी तुलना में पब्लिक स्कूल्स के बच्चों में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। उसका एक कारण यह भी है कि स्कॉलरशिप उनको जो मिलती भी है तो बाद में मिलती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्कॉलरशिप शुरू में जैसे ही एडमीशन ले लिया जाता है, 6 महीने की पहले दे दी जाए ओर ज्वाइंट एकाउंट प्रिंसिपल के साथ खोल दिया जाए और हर महीने या हर तीन महीने बाद उनको दे दी जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई कर सकें। दूसरी बात यह है कि दो लाख से ज्यादा जिन पैरेंट्स की इंकम है, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप जैसे नहीं मिल रही है और ओबीसी की 6 लाख की आय की सीमा है तो ऐसे ही 6 लाख की इंकम लिमिट इनकी भी कर दी जाए। तमाम एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता है लेकिन वह पैसा खर्च नहीं किया जाता है। यूजीसी द्वारा पिछले वर्ष 3 प्रतिशत ही धनराशि दी गयी, क्योंकि यूजीसी ने पहले वाला पैसा खर्च नहीं किया था।

शून्य काल के दौरान - (20 मार्च, 2015)

19 मार्च को कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में एक युवक को जबरदस्ती पेशाब पिलाने की घटना सामने आयी तो मैंने लोक सभा में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस पर सुश्री जयललिता के नेतृत्व वाली ए.आई.डी.एम.के. के सांसदों ने हंगामा करके मुझे पूरी बात कहने से रोक दिया।

- डॉ. उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष
अनुसूचित जाति/ जनजाति
संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

हिंदू कोड बिल और बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर

भारत में महिलाओं का अनुपात जनसंख्या मे 50 प्रतिशत है। आज से लेकर आठ हजार से दस हजार साल पहले भारत मे संपन्न ऐसी मूलनिवासी सिंधु नागवंशी द्रविड कुर्मी संस्कृति थी। वह श्रमण संस्कृति थी। उसमे महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान था। महिलाओं ने ही खेती व्यवसाय की खोज की। महिला ही मिट्टी के बर्तन तैयार करती थी। महिलाएं उत्तम घर बनाने का काम करती थी। उस समय मातृसत्तत्मक परिवार पद्धति थी। इनमे वर्णभेद, जाजीयता नहीं थी। हम सब निसर्ग पूजक थे। सब समतावादी व विज्ञानवादी थे। अंधश्रद्धा नहीं मानते थे। लेकिन लगभग पांच हजार साल पहले आर्य पंडितों ने रूस के दक्षिण भाग से निकलकर इराक होते हुए अफगाणिस्तान के खैबर घाटी के रास्ते से भारत पर पहला हमला किया। वे खुद को देव वंश के कहलाते थे। और हम सब नागवंशी थे। उन्होने शंबर राजा व बलीराजा को धोखे से पराजित करके भारत की सभी महिलाएं, ओबीसी, एस.सी.,एस.टी. लोगों को शिक्षा धर्म, अर्थ, वेद, पूजा, धन आदि का अधिकार नहीं दिया। उन्हें गुलाम बनाया। महिलाओं को भोगदासी बनाया, उनका शोषण किया। महिलाओं को और मूलनिवासियों को धार्मिक, सांस्कृतिक, मानसिक, गुलाम बना दिया। महिलाओं को और मूलनिवासियों को वेदमंत्रो को पढ़ने और पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। उन्हें जाति के बाहर शादी करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था, ब्राह्मण महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को बेंचा जाता था। वेदो में अश्लील बातों का कुछ जगह पर वर्णन है।

इन सब अन्याय के खिलाफ नागवंशी मूलनिवासी भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक, गुरू बसवेश्वर, गुरू कबीर, गुरू रविदास, गुरू नामदेव, गुरू तुकाराम, गुरू सेनामहाराज, और छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रमाता जिजामाता, अहिल्यामाता होलकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीमाता फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहेब डॉ0 अंबेडकर, बिरसा मुंडा इन जैसे महापुरूषों ने आंदोलन शुरू किया। उस समय पुरूष बहुत सारी शादियां कर सकता था। उस समय सिंधूबंदी, बेटीबंदी, रोटीबंदी, शिक्षाबंदी, शस्त्रबंदी, व्यवसाय बंदी, सब बहुजनों पर थोप दी गयी थी। इसीलिए उनकी कोई प्रगति नहीं हुई। यह सब वैदिक पंडित धर्म की वजह से हुआ। हिंदू शब्द अरबों ने एक हजार साल पहले भारत के लोगों के लिए कहना शुरू किया।

ब्राम्हण, मराठा, राजपूत तथा ओबीसी समाज की महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था। यह मनुस्मृती का काला कानून था जो महिलाओं और बहुजनों के साथ साथ समता के खिलाफ था। इसी वजह से बाबा साहेब डॉ0 आंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को इसे जलाया। अमेरिका में महिलाओं ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया है, इसीलिए पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मुस्लिम शासन भारत पर सात सौ सालों तक था। उस समय सती प्रथा भारत में थी। सबसे पहले मोहम्मद तुगलक और सम्राट अकबर ने इस प्रथा को बंद कर दिया। राष्ट्रमाता जिजामाता तथा अहिल्यामाता होळकर ने जातिप्रथा तथा सतीप्रथा को नहीं माना। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। सबसे समता का बर्ताव किया। छ. शिवाजी राजा ने भी सभी के साथ समता का बर्ताव किया महिलाओं को सम्मान दिया, स्वतंत्रता दी, सभी बहुजनो को स्वराज्य आंदोलन में शामिल किया।

1829 में लॉर्ड बेंटिक ने कानून बनाकर सतीप्रथा को बंद किया। राजाराम मोहन रॉय, न्या. रानडे, आगरकर, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, विट्ठल रामजी शिंदे, बिरसा मुंडा आदि ने सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री माता फुले, डॉ. पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील तथा बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर इन्होंने स्कूल तथा महाविद्यालय शुरू किए । उनकी वजह से महिलाओं को और बहुजनों को शिक्षा मिली, ज्ञान मिला। उनकी वजह से महिला और बहुजन न्यायाधीश, प्रपाठक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, राज्यपाल, शास्त्रज्ञ, मंत्री तथा संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य बनी। इंदिरा गांधी जी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। भारत के इतिहास में आठसौ साल पहले ई.स. 1230 में रजिया सुल्ताना दिल्ली के तख्त पर पहली सुलताना बनीं। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं।

भारत के इतिहास में भगवान बुद्ध ने सबसे पहले महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान की। बाबा साहेब डॉ0 आंबेडकर ने भारत के संविधान में सभी महिलाओं को मत प्रदान करने का अधिकार दिया। भारत में हिंदू, ब्राम्हण धर्म में पुराने जमाने से रूढ़ि तथा परंपराओं को मान्यता थी। हिंदू कानून में कोई सुसूत्रता नहीं थी। भारत में दायभाग तथा मिताक्षरा ऐसे अलग-अलग कानून थे। हर जाति की अलग प्रथा थी। प्रथाओं को कानून से ऊपर माना जाता था। उस समय अंग्रेजों को ऐसा लगा की, हिंदुओं को अलग कानून चाहिए । लॉर्ड हेस्टिंग के जमाने में 1775 में दस पंडितो की सहायता से हिंदू संहिता बनायी गयी। 1802 में पहला बालहत्या प्रतिबंध कानून बनाया गया, 1856 में पहला विधवा कानून तथा 1928 मे हिंदू उत्तराधिकारी तथा 1937 मे हिंदू महिला संपत्ति कानून आया। 1919 में डॉ0 हरी सिंह गौर इन्होंने हिंदू कानून बनाया। 14 अप्रैल 1937 में गोपालराव देशमुख ने हिंदू कानून बनाया लेकिन उसे अधूरा समझकर नकारा गया। बाद में मध्यवर्ती अंग्रेज सरकार ने न्यायमूर्ती सर बेनेगल नरसिंहराव की अध्यक्षता में 1941 मे हिंदू कोड समिति बनायी गयी। इस समिति ने उस समय के सात प्रांतो के बड़े शहरों में जाकर जायजा लिया। सनातनी लोगों ने उनका बहुत विरोध किया। बाद में जोगेंद्रनाथ मंडलजी ने हिंदू कोड बिल का मसौदा सर्वप्रथम जनता के सामने रख दिया। बाद में 3 अगस्त 1947 को बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। 1948 में बाबासाहब की अध्यक्षता में 20 सदस्यों की समिति बनायी गयी, इस समिति में विद्वान, समाजसुधारक और महिलाएं थी। बाबा साहब ने राव समिति की शिफारिसों का परीक्षण किया। उसमें विवाह और उत्तराधिकारी के बारे में बाताया गया था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने बड़े पैमानों पर महिलाओं के लिए नए सुझाव दिए । वे धाराएं लिखते थे। इस तरीके से नया हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने बनाया। इसलिए इसे आंबेडकर स्मृति भी कहा जाता है। उन्होंने इस कानून को बड़ी आक्रामकता के साथ लागू करने की बात कही। बाबा साहब डॉ0 अंबेडकर ने 1942 मे मजदूर मंत्री बनने के बाद महिला तथा मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक कानून बनाए।

बाबा साहेब डॉ0 अंबेडकर ने अकेले भारत का संविधान बनाया है। यह भारत का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। इसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय सबके लिए बताया गया है। बाबा साहब डॉ0 अंबेडकर ने नागवंशी भगवान बुध्द के दर्शन से लिया था। इसके विपरीत भारत मे वर्णभेद, जातिभेद, विषमता थी। भारत के संविधान की धारा 14-15 के मुताबिक सभी महिलाएं तथा मूलनिवासियों को समता का अधिकार दिया गया है। महिलाओं से लिंगभेद नहीं किया जा सकता। महिलाओं के खिलाफ सभी कानून नष्ट कर दिए गए हैं। सरकारी सेवाओं में धारा 16 के मुताबिक अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को धारा 25 के मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। खुद की जिंदगी का अधिकार धारा 21-22 के मुताबिक प्रदान किया गया है। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता है। हिंदू कानून के नौ भाग हैं, उसमें 139 धाराएं हैं। वे कहते है मुझे संविधान से हिंदू कोड बिल ज्यादा महत्व का लगता है। बाबा साहब डॉ0 अंबेडकर ने 1927 में चवदार तालाब का आंदोलन तथा 1930 मे नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश के सत्याग्रह का आंदोलन किया उसमें हजारों महिलाएं शामिल हुई थी, उसी प्रकार गांधीजी के भारत स्वतंत्रता के आंदोलन में हजारों महिला जेल गई थी। बाबा साहब डॉ0 अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल मंजूर होने के लिए कानून मंत्री के नाते से बहुत कोशिश की लेकिन उस समय के सनातनी लोगों ने उन्हें गालिया दी, जान से मारने की धमकियां दी। जिन महिलाओं के उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल था दिल्ली में बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर के बंगले के पास में तथा पार्लियामेंट के सामने विरोध में आंदोलन करती थीं क्योंकि उनमें जागृति नहीं थीं और उन्हें गुमराह किया गया था। उस समय संसद भी बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर के खिलाफ थी। इस नए हिंदू कोड बिल के मुताबिक ब्राम्हण तथा ओबीसी और सभी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था, गोद लेने का अधिकार दिया गया था। पति से तलाक लेने का अधिकार दिया गया था। लड़कियों को गोद लेने का अधिकार दिया गया था। अंतर्जातीय विवाह करने का भी अधिकार दिया गया था। भरण-पोषण का अधिकार दिया गया था। पुरूषों को एक से ज्यादा विवाह करने पर रोक लगाई गयी थी। यह सभी महिलाओं के हित में था। इसलिए बाबा साहब ने इस कानून को लागू करने के लिए बहुत कोशिश की। उस वक्त सभी पुरूष इस कानून के खिलाफ थे। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरूजी, दुर्गाबाई देशमुख तथा न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकरजी आदि ने इस कानून का समर्थन किया था। उस वक्त भारत की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। उस समय 1952 का सार्वत्रिक भारत का पहला चुनाव होने वाला था। उसमें हार होने का कुछ लोगों को डर लगता था। पंजाब के अनुसूचित समाज के संत ब्रम्हदास ने बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था।

उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद कायस्थ शुद्र होकर भी इस हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे। उन्होंने धमकी दी थी की अगर इस कानून की चर्चा बंद नही हुई तो वे राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे देंगे। उस समय उपप्रधानमंत्री सरदार पटेल तथा लोकसभा के सभापति अयंगार भी हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे। डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे। उस समय के शंकराचार्य जेर शास्त्री को तो बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर जैसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने हिंदू कोड बिल लगाना मंजूर ही नहीं था। उन्होनें बाबा साहब के खिलाफ टिपण्णी की थी जिस पर साहित्यिक वि.स.खांडेकर ने बाबा साहब का समर्थन किया था। उस समय डॉ0 राजेंद्र प्रसाद ने वाराणसी में जाकर पंडितो के पैर धोये थे जिस पर बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर तथा डा. राम मनोहर लोहिया ने उनका विरोध किया था। उस समय वर्णभेदी, जातिभेदी लोगो का कहना था कि इस कानून से धर्मशास्त्र का प्रामाण्य नष्ट हो जाएंगे तथा वर्णभेद जातिभेद नष्ट हो जाएँगे। यह कानून जल्दी मंजूर हो जाना बाबा साहब की बड़ी मंशा थी। क्योंकि यह बड़ी सामाजिक क्रांति थी। यह कानून हिंदू, बौद्ध, जैन सिख, तथा लिंगायतो के लिए है। इस कानून का भाषांतर बाबा साहब के कार्यकर्ता सोहनलाल शास्त्री जी ने हिंदी, तथा उर्दू में किया था। वे संस्कृत के विद्वान थे। यह कानून मंजूर होने के लिए संसद में बाबा साहब ने बहुत कोशिश की। लेकिन उस समय के सांसद उनके खिलाफ थे। उन्होने पंडित नेहरूजी को यह कानून मंजूर होने के लिए एक पत्र भी लिखा था।

वर्णभेदी लोगो के दबाव से प्रधानमंत्री नेहरूजी को ये कानून स्थगित रखना पड़ा। इसकी वजह से बाबा साहब व्यथित हो गए। और बाबा साहब ने कहा कि, ‘‘मेरा लड़का यदि गुजर गया होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना की हिंदू कोड बिल स्थगित करने से हो गया’’। बाबा साहब कहते थे हक, हिंदू कोड बिल की हत्या की गई। बाबा साहब ने आगे कहा है कि, भारत के विधायिका इससे पहले जितने भी सामाजिक कानून बनाये होंगे उनमे सबसे महत्वपूर्ण कानून हिंदू कोड बिल है। उन्होंने आगे कहा की ‘‘भारत में विधायका ने इससे पूर्व बनाये हुए और भविष्य में बनाए जाने वाले कोई भी कानून हिंदू कोड बिल की बराबरी नहीं कर सकता’’। और इसीलिए 1951 में बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर ने सभी हिंदू, ब्राम्हण, मराठा, राजपूत, ठाकुर, ओबीसी, एस सी, एस टी, जैन, सिक्ख, बौद्ध और लिंगायत महिलाओं की स्वतंत्रता तथा कल्याण के लिए हिंदू कोड बिल जरूरी था और ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए इस मांग के लिए कानूनमंत्री के पद का त्यागपत्र दे दिया। उनके बाद के कानूनमंत्री हरिभाउ पाटसकर रात में आकर बाबा साहब डॉ0 अंबेडकर से हिंदू कोड बिल पर चर्चा करते थे। बाद में 1955-56 में यह कानून मंजूर हो गया। इसलिए बाबा साहब डॉ0 अंबेडकर के त्याग को और कार्य को याद करना सभी भारतीयों को जरूरी है।

- सुरेश घोरपडे
पुर्व न्यायाधीश
चिखली, जि. बुलढाणा
(महाराष्ट्र)
मो.9021414204

✦✦✦

TARGET: 10 LAKH NEW MEMBERSHIP

In 22nd March All India Conference of the All India Confederation of SC/ST Organizations it was resolved to enroll ten lakh new members in a year starting from 14th April, 2015. This campaign is not so big which may not be achieved. If we take the membership drive seriously, it may not be an uphill task. Membership forms have been published and achievable targets fixed, to begin with.

Delhi Unit will initiate this programme w.e.f. 14th April 2015 from Sansad Marg. It is a major challenge for our Delhi members. You are requested to reach in large numbers at Sansad Marg (near Jantar Mantar) at 9 am on 14th April, 2015 and push this programme forcefully. Other State Units will also initiate this campaign in their respective States on the same day.

YOU MAY CONTACT FOR ANY FURTHER INFORMATION:

Dr. Nahar Singh	– 9312255381
Karam Singh Karma	– 9811207260
Dhara Singh	– 9810682985
Ravinder Singh	– 7503051128
Dr. Anju Kajal	– 9891307796
Dr. Dhananjay	– 8010720771
Bhanu Punia	– 9013332151
Balbir Singh	– 9999051041
R.S. Hans	– 9811900137

OPPOSITION TO LAND ACQUISITION: ANTI-DALIT NEW DELHI, 22 MARCH 2015

Expressing his candid opinion on land acquisition, Dr. Udit Raj, Member of Parliament and BJP leader informed the pressmen that opposing land acquisition means stopping industrialization. The country will suffer from chronic unemployment till the industry is established in all corners of the country especially rural areas. If there is no land for the industry and development of its infrastructure, it is but natural people will migrate to the cities for employment and the population of cities will increase more than what is required. In America only 2% of its population depends on agriculture while more than 50% people depend on it in India. Agriculture has 12 to 13% share in GDP despite the fact that appx. 50% of our population depends on it for their livelihood. That is the reason farmers are committing suicides. Some farmers dread land acquisition because the previous governments gave the land to the wealthy ones after snatching it from the farmers while the land should have been industrialized. The land allotted under SEZs was not fully utilized and through the medium of conversion of land use, the farmers continued to be robbed.

Dr. Udit Raj informed the Press that the Prime Minister gave the slogan of 'Make in India' for the first time. It means encouraging the intention of establishing the industry. It does not mean acquiring land. Previously the intention of the Government was to acquire land. The intention was not to establish industries. Dalits possess lands in negligible proportions. They can survive only through industrialization. It is the Dalits and poor who migrate to the cities because of employment opportunities. If industries are established by acquiring lands in far flung areas then migration from villages will come to a halt. Metropolitans will also be saved from over-congestion. The adverse campaign by the opposition parties that land of farmers will be snatched is grossly misleading. In fact only 2% of population possesses lands. Most of the people in rural areas have become landless, or possess negligible lands. The acquired lands will be utilized for the development of industry and not for earning profits by the private sector. If the opposition continues to spread its false campaign, Dalit Rally will respond.

+++

Untouchability, bias is why Hindus convert, admits RSS's UP face

The Indian Express Saturday 21 March 2015,

A Senior Rashtriya Swayamsevk Sangh leader has said that the practice of Untouchability and discrimination based on caste are responsible for the conversion of Hindus to religion like Islam and christianity.

The RSS's Awadh Prant Sanghchalak Prabhu Narayan Srivastava on Friday said Christians and Mulims wre not to blame for the conversion of Hindus. He wa addressing reporters about resolutions passed by the RSS at its All India Pratinidhi Sabha Meeting in Nagpur recently.

Asked about the controversy over ghar wapsi, the RSS's aggressive re-conversion progrmme to bring back Muslims and Christians to Hinduism, Srivastave said that untouchability and discrimination on caste lines promoted by the Hindu religion and society was a weakness that pushed the deprived sections to con vert to other religions.

Srivastave said both ghar wapsi (re-conversion) and ghar chhodan (conversion) were wrong if done out of greed or under inducement. No one should be forced to either convert or re-convert and ther religious freedom of everyone moust be prostected, he said

"Untouchability today that is the reason for weakness in Hindu society. Only our society practices untouchability and discrimination. Christians and Muslims are ont responsible," Srivastava said.

Srivasatva said the RSS was running programmes in slums to eradicate untouchability and discrimination, and to develop harmony in Hindu society.

Harmony among religions and castes could be maintained only if the people of different religions and communities accepted that their ancestors were the same, and their mahapurush (great men) were common.

He added that India has blood relations with Pakistan and Bangaldesh, and the taseer (essence) of Soils, as well as their DNA, were the same.

Srivastava said the RSS had passed two resolutions to welcome the decision of the United Nations to observe June 21 as International Yoga Day, and to appeal to all countrymen, including swayamesvaks. To play an effective role to establish the dingnuty of the mother language in education, day-to-day work and public affairs to achieve all-round development, national integrity and prided.

The RSS has appealed to parents to ensure their children reccive elementary education in their on language.

The Rss's Sah Prant Karyawash of the wdh region Narendra, spoke about the various programmes of the RSS including shakhas being organied to 1,020 places in the region. Over 5,000 people have applied online to join the RSS in Awadh over the last two years, he Said.

+++

All India Confederation of SC / ST Organisations organized PUBLIC MEETING AT VIJAYAWADA, ANDHRA PRADESH

All India Confederation of SC / ST Organisations organized a Public Meeting on 14.03.2015 at Swaraj Maidan (PWD Ground), Vijayawada. The programme started from Gannawaram Airport at 10.30 AM by welcoming Dr. Udit Raj, National Chairman, AICSO and Smt. Seema Raj. The Rally was flagged off by Dr. Udit Raj, Seema Raj, J.B.Raju, Dr. U.Devi Prasad & Dr. K.S.Bhagya Rao. The Rally was escorted by 100 Bikes and 25 Cars. Unique Blue T-Shirts and Caps were by the Motor Cyclists. The Rally was headed by Dance Troup of Traditional Andhra Pradesh Cultural Team of 25 Artists. The Rally covered a distance of 25 Kms upto the Meeting place enroute by grarding 5 Dr. Ambedkar Statues and 1 Babu Jagjivan Ram Statue. Apart from more than 200 people of Rally, hundreds of people welcomed Dr. Udit Raj at the Statues.

The programme **started** at 3.30 PM at Swaraj Maidan with Cultural Programme on the huge Dias. Thousands of people gathered at the venue to welcome Dr. Udit Raj and several Leaders. The meeting was presided over by Shri K.Maheshwar Raj, President of AICSO and he informed the Demands and Agenda of the Confederation.

PUBLIC MEETING AT VIJAYAWADA, ANDHRA PRADESH on 14.03.2015

Dr. Ch.Syam Prasad, IPS welcomed S/Shri J.B.Raju, Dr. U.Devi Prasad, Dr. K.S.Bhagya Rao, K.Bhasker Rao, M.V.Prasad, Vasudeva Rao, Srinivas, Surya Chandra Rao, S.Ramakrishna, B.Narsing Rao, S.Latha, Padmavathi, National Leaders Shri Jagjivan Prasad, Harshawardhan, Mamta Gangurdey (Maharashtra). Sabari (Tamilnadu) were present on the dias. Addressing the gatherting S/Shri Devi Prasad, Bhagya Rao & JB Raju have emphasized the need for Reservations in Private Sector, Promotions and perfect Implementing POA Act 1989.

The Chief Guest Dr. Udit Raj elaborately gave a narration of the employment situation while thrusting the need of Reservation in Private Sector and Reservations in Promotion. He said that he became Member of Parliament to utilize Parliament as platform to protect the rights and raise voice on behalf of SC/ST/OBCs/Minorities. He cautioned the educated youth that they have to come forward to fight and protect the Rights which were given by Dr. Ambedkar through Constitution of India. He informed that so many MPs belonging to SC/ST communities are there but nobody has shown the concern and raised the issues relating to Reservations and Dalith issues. He told that he is disclosing the facts which can be verified / obtained in Lok Sabha Website, since it is transparent now. He further stressed the need for education for Daliths and expressed his concern for the present growing trend of neutralizing Government Educational Institutions, where Dalith students will get education. The Corporate Education Sector is expanding with the encouragement of Governments and Dalith parents are unable to offer the costly education. It is deprivation of Right to Education and thereby denial of Employment, indirectly. Dr. Udit Raj expressed concern about Government's Policy of encouraging the Contractual / outsourcing employment. He said that introduction of outsourcing is nothing but avoiding SC/ST unemployed youth from employment. All these policies are leading towards mounting up of discontentment among SC/ST/OBC/Minorities, which is not good for a growing Country like India. He expressed anguish over the downsizing of Budget allocation to Special Component Plan & Tribal Sub Plan. It is quite evident on comparing the last and present Budget allocation that more than 20,000 Crores & 13,000 Crores was reduced in SCP & TSP, respectively.

He further said that All India Confederation of SC/ST Organisations is playing an important role by bringing all Associations, Organisations, Forums of SCs/ STs under one Umbrella. He urged all SC/ST Organisations to strengthen the Confederation to achieve our Rights and share in the Development. He said that without development of Daliths, the country cannot be accepted as developed country and it will be treated as lopsided development. He declared Dr. Ch. Syam Prasad, IPS as Convener of Confederation for Andhra Pradesh State. Dr. Udit Raj concluded with an appeal to join Confederation by taking Membership so as to become a united force.

+++

Issues raised by Hon'ble Dr. Udit Raj, MP, in Parliament

4th Novembar 2014 to 23rd December 2014

During Zero Hour and under Rule 377 on 9th December, 2014

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon'ble Deputy Speaker, Sir, under 20-point Programme, Dalits were allotted housing plots and agricultural lands. Now 38 years have passed but they have not been given bhoomidhari rights which means that they cannot claim their right. In some of the places what happened is that their plots have been converted into parks and village land. As on date, they are not in a position to develop their land because they are in fear that any time it can be taken back by the Government. So I would like to state that this case is already 38 years old, they are already in possession and are cultivating on it. The law says that 12 years of continuous possession gives the right of ownership. But till today, they have not been given the right of ownership. Most of these people are Dalits, poor, OBCs & backwards. They live in rural areas of Delhi. They have been fighting for it but yet the issue has not been sorted out. So, I urge upon the Government that they should be given bhoomidhari rights. Today, they do not have the title rights though they are using it. This is what, I wanted to say.

During Zero Hour on 16th December, 2014

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Madam Speaker, I wish to draw attention of the Government through you on an important issue. People belonging to Scheduled Cast and Scheduled Tribe communitier have come to Delhi from all over the country, but their reservation status is denied here while the Supreme court had ordered for it in 2005. This was held in the Supreme Court also. In February, 2013, the Attorney-General had also opined that they will be given reservation even if they come and produce a certificate. Subsequently, the Government of NCT has issued the order in May, 2013. Despite this, they are being denied reservation. Recently MCD has recruited teachers. Its result was declared on 5th December. They are denied reservation. In Education Department Assistant Teachers were also denied reservation. Education departmenta assistant teachers were also denied reservation.

Madam, through you, I request the Minister for Urban Development or LG that the orders which are already in place should be implemented and the people belonging to SC and ST communities, particularly coming from Rajasthan, should be given reservation in State Government.

During Zero Hour on 19th December, 2014

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon'ble Speaker, the All India Institute of Medical Sciences is a reputed body in the country. It is a premier institution. But this premier institution is also known for flouting the norms of reservation policy. It has also flouted the service rules. Various Committees have given recommendations to follow the system of rotation of Heads. Yet, AIIMS has not followed the recommendations of Committees like Javed Chowdhury Committee and Vaidyanathan Committee. Parliamentary Committee also held the same opinion.

In 2003, 164 recruitments were made in AIIMS where the reservation policy was not followed. The High Court interfered, yet AIIMS has not followed rules in respect of giving them seniority and the roster system. So, I urge the Hon'ble Minister through you that in the name of autonomy, though the Government has limited interference, it is not that they should flout the rules and victimize downtrodden or those who are children of lesser God.

Thank you very much.

During Zero Hours on 22nd December, 2014

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Dy. Speaker Sir, thank you so much for giving me this opportunity to say about the Scheduled Castes and Scheduled Tribe Component Plan. In every Budget, budgetary allocation is made under the Head 'Special Component Plan and Tribal Sub-Plan.'

However, the budget amount is already less than what it should be, as per the philosophy of Special Component Plan and Tribal Sub-Plan, but through you, I want to urge upon the Hon. Finance Minister that in the next year's Budget, there should be a mechanism so that budgetary alloctions under these heads, which are transferred to the States, should be properly utilized.

Thank you so much.

24th February, 2015 to 18th March, 2015

During Zero Hours on 24th February, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon'ble Speaker, through you, I want to draw the attention of the Human Resource Development Minister on a very important issue. I want to raise the issue of the people who are even today deprived of the opportunity of education. Had there been no reservation, their condition would have continued to be worse. It is because of reservation in politics and Govt. jobs that their condition has improved to a certain extent. Jamia Milia University is a National University but in the year 2011, this University had denied admission on the basis of reservation. In the year 2014, the University denied reservation in teaching jobs . Is the Jamia Milia University not getting grant from the Consolidated Fund of India? Are they not receiving tax payers' money? The University gave reservation to minority community which is a good thing. Reservation has been denied to SC/ST candidates. Through you I want to impress upon the Government to consider this matter seriously. In the whole of the country, there are a few Women Universities. Jamia Milia is a good University. Earlier, SC/ST candidates were getting reservation but now what is the reason that the same has been denied to them. The same pattern has been observed by me in Aligarh Muslim University. I would earnestly appeal that this matter should be seriously considered. I am grateful to you, Madam for giving me an opportunity to speak on the issue.

Under Rule 377 on 24 th February, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): In the Union budget, a substantial amount of money is allocated under the head 'Scheduled Caste Sub Plan and Tribal Sub Plan'. There is no effective mechanism to monitor proper utilization of this money in different states. It is a well known fact that State governments have been diverting these the funds to other areas. It is not clear whether the government is going to transfer the money to the State Governments or UTs as was done in the past or some more effective system will be introduced. It has also come to my notes some of the notice that some of State Governments are indulging in anti SC/ST activities. I, therefore, urge upon the Government to ensure proper utilization of funds under the said head.

During Zero Hours on 25th February, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon'ble Speaker, thank you very much for giving me this opportunity to raise the problems of rural people of Narela of my Constituency. In Narela, the Delhi Development Authority acquired land in 1996 to build sub-city over there. So far not much has been done. Not only that, integrated freight corridor was to be set up which could have been done very easily. It is connected with road and rail. The only thing is that warehouses have to built over there. Some warehouses are there, but the DDA and the Govrenment have not taken pains to regularise them. Apart from DDA, in the 2010 Zonal Plan, plans have been made for a number of recreational and educational institutions. But so far land has not been allotted. About 1,000 hectares of land was allocated for eductional activities and 500 hectares of land was allocated for recreational activities. But till today, the Ministry of Urban Development and the DDA have not done anything in this regard. Thousands of flats are lying vacant. They have not been allotted. People are homeless. If metro rail is extended to that area, then those houses can be allotted and people will willingly go there. Thank you so much for giving me this opportunity.

During Zero Hours on 27 th February, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI):Hon' Madam, I thank you for giving me an opportunity to express my observation about the Public Sector Undertakings. Public Sector Undertakings have been called milching cows for the officers in collusion with Politicians. I would draw your attention to the LIC which comes under the Ministry of Finance. LIC is being milked like anything. I am going to highlight four issues. LIC has a foreign branch in England. When that branch is not viable and profit is not coming from it, then it should be wound up.

During Zero Hours on 10th March, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon'ble Speaker, participation of SC/ST people in MSME sector is minimal. Earlier it used to be 11 to 12% but now it is reduced to nearly 9% and it is further going down day by day when actually the number of registered MSMEs is just 7% . Through you, I want to know from the MSME Minister that something should be done for this situation. Most of the SC/ST entrepreneurs are in the Apparel and Leather industries and other unclean and unhygienic professions for which even registration is not done. I sincerely urge the Government through you to increase their percentage.

Dr. Udit Raj Demanded that budgetary allocations for Dalit should be spent exclusively on Dalits

17th March, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon'ble Speaker : I would request you to kindly give me a little more time because I have not heard anyone speaking about revenue management, boosting of revenue collection and expenditure management. I am a tax administrator. Everybody wants to get some concessions from the Finance Minister and State Finance Minister. We have to consider as to how we shall generate expenditure of Rs. 16.8 lakh crore while the collection is just Rs.11.8 lakh crore. How the Government will arrange funds for different Projects? We have to make a payment of Rs.4.1 lakh crore towards interest and what is left with us is very meagre. An opinion has been built in the country whereby both politicians and bureaucrats are being branded as villains. Administrators are complaining of harassment and everybody is accusing politicians. This is not the right environment. I was Additional Commissioner Income Tax. I had observed that there was serious revenue leakage. If revenue is managed properly then not only the fiscal deficit can be bridged but the entire funds can be managed properly. There is another aspect. I would like to highlight the issue of management of funds. Scheduled Caste Component Plan and Scheduled Tribe Sub Plan funds are diverted under other heads . I would particularly take the case of Orissa. The SC/ST Plan budgets earmarked for different States are diverted for construction of Bridges, Hospitals and Commonwealth games. There is a team of 40 people in HRD Ministry for monitoring the funds of the Ministry. In the same way, I urge the Finance Minister through you for constitution of a Committee for monitoring allocation of SC/ST funds.

Secondly, for all the Central Govt. schemes for which funds are given by it, proper monitoring should be done.

During Zero Hours on 17th March, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon'ble Speaker, I want to draw your kind attention to another very important issue concerning Kendriya Vidyalaya Sangathan. This organization is headed by a Commissioner who is the supreme authority for this organization. In this organization, earlier there was a ratio of 80:20 for written examination and interview but it has been manipulated to the ratio of 70:30. There are many anomalies in transfers and postings. Many discrepancies have been found in computer purchasing. I, therefore demand that a CBI or CVC enquiry may be held in these matters.

Question Hours on 17th March, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon'ble Speaker, people of different castes from all over the country are living in Delhi. There is a considerable population of three main castes of people from Tamil Nadu – Pallan, Adi Dravid and Arudhatiar who had come and settled down in Delhi nearly fifty years back. In some cases, caste certificates were issued by Delhi Govt. but in many cases, caste certificates were not issued. When these people apply to Delhi Administration for the issue of caste certificates, the matter is taken up with the Tamil Nadu Administration and a lot of time is wasted in getting the requisite documents/confirmation. Many times, no reply comes as a result of which these people are deprived of reservation and SC/ST seats remain vacant when actually the candidates are available. It is mainly the State Governments which are responsible for creating this situation who know fully well that these candidates belong to SC/ST community. I want to know from the Hon'ble Minister as to what is the remedy for rectifying this situation.

This is not a question of inclusion or exclusion from the list as per Articles 341 and 342 of the Constituion. It is a little different. Through you, I want to draw the kind attention of the Hon'ble Minister for the intervention of RGI . I am fully aware of the role of Commission in it. Fake certificates have become a big issue in the whole of the country particularly for the scheduled caste candidates. The issues relating to fake caste certificates are pending in courts for more than 15 to 20 years and by the time the cases are decided, the employees get retired. I want to know from the Hon'ble Minister as to what is the remedy for this situation.

During Zero Hours on 10th March, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon'ble speaker, I am raising a very important issue and would like to draw the attention of the Hon'ble Minister about schools in villages and particularly primary schools where there is virtually no teaching. Quality of teachers is very poor as compared to the quality of teaching in public schools. One of the reasons for this situation is that even when scholarships are given, the same are given late. I, therefore, request that scholarships should be given right from the stage of admission for which joint account may be opened in Principal's name and disbursement may be made every three months so that he students may complete their studies without any distraction. The other point is that SC parents whose income is more than Rs. 2 lakh, their children are not getting scholarships while the income limit for OBC parents is Rs 6 lakh. It is requested that the same limit may be fixed in the case of SC people also. It has also come to my notice that different funds allocated for education of SC/ST people are not properly spent. Last year, 3% grant was given by the UGC because the UGC had earlier not utilized this fund.

During Zero Hours on 20th March, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon'ble speaker, on the 19th March 2015 some upper caste people forcibly made a youth to drink urine in Krishna Giri District of Tamil Nadu. I had demanded in the Lok Sabha that the culprits should be brought to book. On this, Members of AIDMK headed by Sushree Jayalalitha, did not allow me to speak on the issue.

+++

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 9 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 31 March, 2015

All India Conference of SC/ST Organizations Organized a day-long Sammelan on 22 March, 2015 New Delhi

Under the banner of All India Conference of SC/ST Organizations a day long Sammelan concluded at the NDMC Convention Centre, New Delhi on Sunday, 22nd March, 2015 which was attended by Confederation leaders, workers and well-wishers from all over the country. Though around 500 invitations were sent keeping in view the capacity of auditorium yet people thronged to the venue and had to stand in the passage and on the stairs throughout the event. Dr. Udit Raj ji, Member of Parliament and National Chairman of the Confederation, attended the Sammelan as a guest speaker. Others who addressed the participants included S/Shri Karam Singh Karma, Ravinder Singh, Dr. Anju Kajal, Bhanu Punia, Balbir Singh, Hari Prasad, Satya Narayan, YK Anand, R.S. Hans, Ashok Ahlawat from Delhi; Sidhharth Bhojane, Sanjai Adhangale, Archana Bhoyar, Manikrao Ji Bonbarde, Manish Dave from Maharashtra; Param Hans Prasad, B. Bharati from Madhya Pradesh, R.K. Kalsotra from Jammu & Kashmir; Tarsem Singh and Dashan Singh Chanded from Punjab; Maha Singh Bhurania, Satya Parkash Jrawta from Haryana; Mularam Khorwal and Vishram Meena from Rajasthan; Jagjivan Prasad, Dharam Singh, Data Ram, Radheshyam from Uttar Pradesh; Madan Ram, Amit Kumar Paswan from Bihar; Alekh Malik, D.K. Behera, Gandaram Nayak from from Odisha; Maheshwar Raj from Telangana and Dr. Shyam Prasad from Andhra Pradesh; Valji P. Danicha from Gujarat; M.P. Kumar, S. Karupaiah from Tamil Nadu, K. Ramankutty from Kerala; J. Srinivaslu from Karnataka and Anil Meshram from Chhattisgarh.

Delhi Pradesh General Secretary, Shri Ravinder Singh welcomed the participants to the Conference and National Secretary, Shri Brahm Prakash explained the objective for organizing the event. Thereafter, Shri Ravinder Singh invited the National Chairman of the Confederation, Dr. Udit Raj ji, to deliver his key note address to the participants. The hall ranted with clapping while the leaders and workers of the Confederation garlanded Dr. Udit Raj at the dais. First of all Dr. Udit Raj paid his obeisance to Maha Manav Gautam Budhha and Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar and offered floral regards to them and inaugurated the Conference. Dr. Udit Raj ji explained the purpose of organizing this event and the achievements of the Confederation.

While addressing the Conference Dr. Udit Raj ji informed that when the condition of Dalits and Adivasis did not improve through all the Government-aided schemes then Tribal Special Plan 1974 and Scheduled Castes Special Plan 1989 were introduced so that the funds allocated for the development of these communities may not be transferred to other heads. Under these plans development was to be made by earmarking the budgetary allocations in proportion to the population of the area under review. At that time, budgetary allocations were quite sufficient to meet the targeted objectives. Slowly the allocated amount became lesser and lesser. In the beginning the budgetary allocation was negligible. It did increase gradually but remained almost half the required amount. Even this half was not utilized sincerely. This year the earmarked budgetary allocation is Rs. 4,65,277 crore and Rs. 30,850 crore has been earmarked for scheduled castes while it should have been Rs. 77,235 crore as per population. As such, Rs. 46,385 crore has been snatched. Likewise, Rs. 20,034 crore has been cut from scheduled tribes' allocation. STs got Rs. 19,979 crore while it should have got Rs. 40,013 crore.

Dr. Udit Raj informed that All India Confederation of SC/ST Organizations was constituted in 1997 with a view to force the Government to repeal five anti-reservation ordinances and it was only due to the forceful campaign launched by the Confederation that Government made constitutional amendments through 81st, 82nd and 85th Constitutional Amendment Bills and reservation was protected. He told that fight for reservation in promotions still continues. It was only due to the Confederation that reservation could be protected for Dalits, backwards and minority communities in Lok Pal. It was only due the Confederation that reservation in private sectors was introduced and UPA-I included Minimum Common Programme in private sectors. Bill on reservation in promotions was introduced in Parliament during the UPA regime but due to the careless attitude of the then Government it could not become law. These were the main causes for the ouster of UPA government at the Centre.

Highlighting on the accountability of the Government bureaucrats Dr. Udit Raj said that MPs and MLAs are temporary employees. After remaining an MP or an MLA for five years there is no guarantee of winning the election the next time. Even those candidates, who win elections on reserved seats, are more accountable to their Party instead of to the Samaj. But the officers and employees, who are appointed or promoted on reserved seats, are not under any pressure and can do Samaj Seva independently of their free will, on permanent basis.

Differentiating between the Confederation and other SC/ST organizations, Dr. Raj said our Confederation is achievements-based and not caste-based. Caste-based leadership of any organization may indicate which caste that organization would dominate. Our Confederation does not have even one or two percent of people belonging to the caste in which Dr. Udit Raj was born. Even then they were assigned important posts in the Confederation on the basis of their work and not due to any other consideration. He said Confederation people very well know this fact but those who have any doubts they may enquire about our Confederation and clarify their doubts.

Dr. Udit Raj said that allegations are leveled against our Confederation that we are working to weaken Bahan Mayawati ji and this is the only reason that Indian Justice Party under my leadership did not get the expected support of the Samaj. Sometimes it was alleged that I am an agent of the BJP and sometimes I was alleged to have been fostered by the Congress. Unfortunately, some people believed such rumours. BSP leadership feared to accept me. They feared that their Bahan ji would become weaker if they accepted my leadership. Had I been criticized on the basis of arguments, I would not have been pained. But it was done under the pretext of caste, and sometimes by branding me an agent of the BJP. If evaluation is done on the basis of arguments and achievements, things would become clear. In 2008 Delhi Vidhan Sabha elections Bahujan Samaj Party got around 14% votes. This time it has condensed to about 1.5%. After all, where did this vote bank go? It is evident, the voters moved to AAP. The vote bank of BSP had started drifting away towards AAP in 2013 Delhi Vidhan Sabha elections. But attempts were made to stop me by spreading misconceptions about me with so-called missionary zeal. No such attempt was made against Arvind Kejriwal, what to talk of criticizing him. Here the question arises if Arvind Kejriwal is carrying forward the caravan initiated by Dr. Ambedkar? It appears so for some time lest these so-called Ambedkerites would have restored our vote bank by removing the misconceptions should we presume psychologically they do not hesitate in accepting the leadership of the Savarnas. But when the question of leadership of our own man comes, caste and ego come in-between. Here it becomes clear that not only the Savarnas but Dalits themselves also are responsible for exploitation of Dalits.

Dr. Udit Raj further said that he has become the hub of all criticism after joining the BJP and contesting election on its ticket. But after reaching Parliament there is hardly any other Parliamentarian who would have raised Dalit issues on the floor of the House. My well-wishers have published a handbill on the issues raised by me in the Parliament which is before you. (Note: The issues raised in Parliament by Dr. Udit Raj are reproduced in this issue separately.)

Dr. Udit Raj lamented that the Samaj did not respond in the same vein the Confederation gave so many benefits to it. It was already discussed amongst the top leadership of the Confederation that we have to launch Membership Drive now and it was agreed unanimously that the Drive would start w.e.f. 14th April, 2015, i.e. the Birthday of Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar ji, to make ten lakh new members of the Confederation within one year. S/Shri Siddharth Bhojne of Maharastra pledged to make one lakh new members; Tarsem Singh of Punjab 50K; Anil Meshram of Chhattisgarh 10K; S. Karupaiah of Tamil Nadu 50K; Dharam Singh of UP pledged to make new members equivalent to total new membership from the rest of the country; Ravinder Singh of Delhi pledged for one lakh new members.

On reaching the target of ten lakh new members, you would yourself realize how much strength our demand for reservation in private sector and promotions; filling up of SC/ST/OBC vacancies; country-wide recognition of Caste Certificates, etc., would gain.

+++

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com
Computer typesetting by C. L. Maurya